न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/37/2023	2023/328	26-07-2023	26-12-2024

1. श्रीमती प्रेमलता पुत्री श्रीमती सोना पत्नी भरतू पत्नी श्री नराता जाति नट उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम पैतपुर तहसील व जिला अलवर राज0। —अपीलान्ट

बनाम

1— सहायक भू प्रबंध अधिकारी अलवर राज0।
2— सतवीर पुत्र धन सिंह जाति नट निवासी ग्राम सुकल तह0 व जिला अलवर राज0।
—असल रेस्पोडेन्ट

3— श्रीमती सावत्री पुत्री श्रीमती सोना पत्नी भरतू पत्नी श्री राधे जाति नट निवासी ग्राम पैतपुर।
4— श्रीमती गायत्री पुत्री श्रीमती सोना पत्नी भरतू पत्नी श्री सेवाराम जाति नट निवासी ग्राम सुकल का बास सहोड़ी तहसील अलवर जिला अलवर —मृतक
4/1— श्रीमती पम्मो पुत्री गायत्री पत्नी श्यामसुन्दर निवासी सुकल अलवर।
4/2— पूजा पुत्री गायत्री पत्नि जैकी निवासी सुकल का बास अलवर।
4/3— सरस्वती पुत्री गायत्री पत्नि टोनी निवासी सुकल का बास अलवर।
4/4— रोनम पुत्री गायत्री पत्नि आनन्द निवासी नरवास तह0 व जिला अलवर।
4/5— सोनम पुत्री गायत्री पत्नि तरूण उम्र करीब 24 साल निवासी पपरेटा आगरा यूपी।
4/6— बलवीर पुत्र सेवाराम जाति नट निवासी सुकल का बास अलवर (मृतक)
4/7— शिवकुमार पुत्र सेवाराम जाति नट निवासी सुकल का बास अलवर।
5— श्रीमती कश्मीरी पुत्री श्रीमती सोना पत्नी भरतू पत्नी केदार जाति नट नि0 ग्राम पैतपुर अलवर।
6— रामवीर पुत्र श्रीमती सोना पत्नी भरतू जाति नट निवासी ग्राम सुकल का बास साहोड़ी तहसील व जिला अलवर।
——तर0 रेस्पो0

अपील विरूद्ध आज्ञा न्या0 सहायक भूप्रबंध अधिकारी अलवर इंतकाल सं0 57 निर्णय दि0 20.05.1993 वाके ग्राम साहोडी तह0 व जिला अलवर।

उपास्थितः—
1. श्री दाताराम गुप्ता / श्री गणपत सिंह नरूका —अधिवक्ता अपीलान्ट
2. श्री अजय मोहन मुखीजा —अधिवक्ता रेस्पो0

—::निर्णय::—

वकील अधिवक्ता ने यह अपील विरूद्ध आज्ञा न्यायालय सहायक भूप्रबंध अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 20.05.1993 बावत इन्तकाल संख्या 57 वाके ग्राम साहोडी तह0 व जिला अलवर जिसके जरिये मृतक श्री भरतू पुत्र प्रभू का इन्तकाल विरासत अपीलाण्ट व तरतीबी रेस्पो0 की माता मु0 सोना के नाम स्वीकार किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील के समर्थन में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि अपीलान्टा व तरतीवी रेस्पोडेन्ट के पिता श्री भरतू की खातेदारी की आराजी कुल किता 10 रकबा 18 बीघा 11 बिस्वा ग्राम साहोडी तहसील अलवर में स्थित थी। उक्त श्री भरतू के स्वर्गवास होने के पश्चात उसका इन्तकाल विरासत संख्या 57 केवल हमारी माता मु. सोना के नाम पर खोला गया, जिस इन्तकाल को बिना किसी प्रकार की जाँच किये हुए व बिना वारिसान के बारे में कोई जॉच किये हुए हमारे खिलाफ वाला वाला इकतरफा में सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी मुकाम अलवर ने दिनांक 20.05.1993 को हमारी माता मु. सोना के नाम पर तस्दीक कर दिया। उक्त इन्तकाल की बावत हमें कोई जानकारी किसी प्रकार की नहीं हो सकी, अब हाल ही में कुछ समय पूर्व हमारी माता

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

मु. सोना के स्वर्गवास होने के पश्चात हमने उसके हिस्से की आराजी का इन्तकाल अपने नाम पर खुलवाने के लिए राजस्व अभिलेख की नकल प्राप्त की तो हमें सर्वप्रथम इस बात की जानकारी मिली की हमारे पिता का विरासत का इन्तकाल केवल हमारी माता मु. सोना के नाम पर दर्ज व तस्दीक किया गया है। हमने कथित इन्तकाल के बारे में जानकारी की, तो सर्वप्रथम दिनांक 08.06.2018 को विवादित इन्तकाल के बारे में जानकारी हुई। जिस पर हमने उसी दिन दिनाक 08.06.2018 को नकल प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर दिनांक 11.06.2018 को नकल प्राप्त होने पर समस्त तथ्यों का पता चला। जिस पर बाद कानूनी सलाह आदि के आज यह अपील बिना किसी देरी के पेश की जाती है, जो उपरोक्त प्रकार से अन्दर मियाद पेश है एवं दिनांक 20.05.1993 से दिनांक 08.06.2018 तक का समय जानकारी के अभाव में व उसके बाद से आज तक का समय नकल प्राप्त करने व कानूनी सलाह आदि करने में व्यस्त होने के कारण धारा 05 कानून मियाद के तहत कन्डोन फरमाये जाने योग्य है, जिसके लिए अलग से प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम प्रस्तुत है। चूंकि विवादित इन्तकाल सैटिलमेन्ट के दौरान तस्दीक किया गया था अब सैटिलमेन्ट का कार्य समाप्त हो चुका है, इसलिए अपील न्यायालय के श्रीमान योग्य है। सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी मुकाम अलवर ने विवादित इन्तकाल तस्दीक किये जाने से पूर्व ना तो हमें किसी प्रकार का नोटिस दिया और ना ही वारिसान के बारे में कोई जानकारी की, बल्कि समस्त कार्यवाही इकतरफा में करते हुए उक्त इन्तकाल तस्दीक किया है। मृतक श्री भरतू मिन अपीलान्टा व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के पिता थे, और उनके स्वर्गवास होने के बाद कानूनन व हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत उनकी समस्त सम्पत्ति में मिन अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट का समान हक व हिस्सा कानूनी तौर पर बनता है। इन हालात में विवादित इन्तकाल उनकी पत्नि मु. सोना के साथ साथ उनके सभी पुत्र व पुत्रियों के नाम बहिस्से बराबर बराबर तस्दीक किया जाना आवश्यक था, जो काबिल गौर श्रीमान है। चूंकि अब मु. सोना जो हमारी माताजी थी, का भी स्वर्गवास हो चुका है, इसलिए इन हालात में अब मृतक श्री भरतू का इन्तकाल केवल मिन अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के नाम बहिस्से बराबर बराबर तस्दीक किया जाना आवश्यक है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आज्ञा सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी मुकाम अलवर दिनांक 20.05.1993 निरस्त फरमाई जाकर विवादित इन्तकाल संख्या 57 ग्राम साहोडी मिन अपीलान्टा व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के नाम बहिस्से बराबर बराबर तस्दीक फरमाये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से लिखित बहस पेश कर कथन किया गया है कि उपरोक्त अनुवानी प्रकरण में आराजी खसरा नम्बर 1, 2, 3, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 76, 81, 82, 13/954, 16/954 कुल किता 28 कुल रकबा 64 बीघा 6 बिस्वा का 1/9 हिस्सा संपूर्ण वाके ग्राम साहोडी हाल सुकल तहसील व जिला अलवर राजस्थान मे स्थित हैं। जिस आराजी को अपीलांट श्रीमती प्रेमलता के पिता भरतू पुत्र श्री प्रभू निवासी ग्राम साहोडी, सुकल तहसील व जिला अलवर राजस्थान ने मिन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 सतवीर पुत्र धन सिंह जाति नट निवासी ग्राम सुकल तहसील व जिला अलवर राजस्थान को दिनांक 16.08.1989 को जरिये इकरारनामा बेचान कर दिया गया था। जिस बावत इकरारनामा मिन प्रार्थी सतवीर पुत्र धनसिंह के हक मे दिनांक 16.08.1989 को तहरीर व तस्दीक किया गया। जिस पर गवाहों के हस्ताक्षर हैं। जिसकी जानकारी अपीलांट को बखूबी थी और अपीलांट के पिता का स्वर्गवास होने के पश्चात आराजीयात खरीद करने के तथ्य छिपाते हुये मिन प्रार्थी को बिना पक्षकार मुकदमा बनाये अपील माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दी है तथा अपीलांट व तरतीबी रेस्पोडेन्टान एक राय मशविरा कर साजबाज होकर आराजी का इंतकाल अपने नाम खुलवाना चाहते हैं जिसका कि उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। बाद खरीद मिन प्रार्थी उक्त आराजी पर मालिक काबिज चला आ रहा है वर्तमान मे भी मिन प्रार्थी ने उक्त आराजी पर फसल बो रखी है इस तरह अपीलांट ने बडी चालाकी से मिन प्रार्थी को छोडकर बिना पक्षकार मुकदमा बनाये अपील माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की है इस तरह मिसजोइन्डर ऑफ पार्टीज एवं नोन जोईन्डर ऑफ पार्टीज के दोष से ग्रसित होने के कारण हस्तगत अपील चलने योग्य

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज.)

नही है व खारिज किये जाने योग्य हैं। मिन प्रार्थी द्वारा हस्तगत अपील मे बतौर रेस्पोडेन्ट पक्षकार मुकदमा बनाये जाने का प्रार्थना पत्र दिया गया था जो प्रार्थना पत्र मंजूर फरमाया गया। इस तरह हस्तगत अपील मे प्रार्थी को बतौर रेस्पोडेन्ट पक्षकार मुकदमा बनाये जाने के आदेश दिये गये, जिस कारण से अपील माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की जा रही हैं। अपीलांट द्वारा अपील मिथ्या एवं आधारहीन तथ्यो के आधार पर पत्रावली पर पेश की है तथा मातहत न्यायालय तहसीलदार महोदय अलवर राज० के निर्णय दिनांक 11.10.2021 को उक्त अपील प्रश्नगत किया गया है तथा जो आराजी अपीलांट द्वारा खरीद करना बताया गया है उस आराजी को मिन प्रार्थी द्वारा अपीलांट प्रेमलता के पिता भरतू पुत्र प्रभू निवासी ग्राम साहोडी, सुकल तहसील व जिला अलवर से खरीद कर लिया था इकरारनामा दिनांक 16.08.1989 भरतू पुत्र प्रभू द्वारा अपीलांट के हक में तहरीर व तस्दीक किया गया। जो तथ्य वास्ते गौर हैं। जिसमे आराजी खसरा नम्बर 1, 2, 3, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 76, 81, 82, 13/954, 16/954 कुल किता 28 कुल रकबा 64 बीघा 6 बिस्वा का 1/9 हिस्सा संपूर्ण वाके ग्राम साहोडी हाल सुकल तहसील व जिला अलवर राजस्थान को भरतू के हिस्से खरीद किया गया। जिस बाबत इकरारनामा तहरीर व तस्दीक किया गया। दिनांक 11.10.2021 के आदेश/निर्णय की अपील माननीय न्यायलाय के समक्ष विचाराधीन है जिसमे आराजी खसरा नम्बर 1, 2, 3, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 76, 81, 82, 13/954, 16/954 कुल किता 28 कुल रकबा 64 बीघा 6 बिस्वा का 1/9 हिस्सा संपूर्ण वाके ग्राम साहोडी हाल सुकल तहसील व जिला अलवर को प्रश्नगत किया गया है जो आराजी का क्षेत्रफल एवं संपूर्ण विवरण उपर वर्णित किया गया है उस आराजी को अपीलांट का कोई अधिकार किसी प्रकार का नही बनता है क्योकि वह आराजी मिन प्रार्थी को बेचान की जा चुकी है जिससे कोई संबंध व सरोकार अपीलांट का नही है अपीलांट ने मिथ्या अपील न्यायलाय के समक्ष पेश की है जो तथ्य वास्ते गौर है। दिनांक 11.10.2021 के आदेश की अपील जेरे तजबीज है और उसके पश्चात ही अपीलांट द्वारा इंतकाल अपने नाम से खुलवा लिया गया जो न्यायालय के आदेश की अवहेलना है क्योकि जिस समय इंतकाल खुलवाया गया था उस समय अपील जेरे तजबीज थी और अपीलांट को यह कतई अधिकार प्राप्त नही था कि वह अपील के दौरान नामांतरण अपने नाम से खुलवा सके, यहा कह देना उचित होगा कि दिनांक 11.10.2021 का आदेश प्रार्थी के पक्ष मे है और अपीलांट के खिलाफ हैं जब तक अपील मंजूर नही हो जाती है अपीलांट को यह कतई अधिकार प्राप्त नही है कि वह इंतकाल अपने नाम से खुलवाये, इस तरह इंतकाल जो खुलवाया गया है व दिनांक 27.11.2024 को खुलवाया गया, जो प्रेमलता पुत्री भरतू, रामवीर पुत्र भरतू द्वारा खुलवाया गया है जो इंतकाल शुरू से ही नलएण्ड वोयड हैं। जिसके लिये पृथक से प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। दिनांक 06.11.2024 को आराजी खसरा नम्बर 667/3, 665/7, 101, 102, 17, 18, 19, 24, 25, 663/12, 661/364, 5, 668/3, 665/1, 656/1, 6/2190, 85, 2, 36, 4, 6, 666/7 रकबा क्रमशः 0.06, 0.05, 0.10, 0.10, 0.020, 0.04, 0.05, 0.20, 0.42, 0.28, 0.60, 0.81, 0.07, 0.4127, 0.0769, 0.01, 0.05, 0.20, 0.06, 0.13, 0.32, 0.04 हैक्टर वाके ग्राम साहोडी हाल सुकल तहसील व जिला अलवर को स्थगित रखा जावें, के आदेश सादिर फरमाये गये, तहसीलदार को आदेश जारी हो, यह भी आदेश दिनांक 06.11.2024 में अंकित किये गये, जिसके बाद भी दिनांक 27.11.2024 को इंतकाल प्रेमलता व रामवीर पुत्री एवं पुत्र भरतू के नाम खोल दिया गया, जो स्वीकृत नामातरण 220/27.11.2024 है, जो इसी बिना पर अपास्त किये जाने योग्य है। गायत्री के शिवओमकार पुत्र सेवाराम के अलावा सात वारिस हैं जिसका नाम पूजा, पम्मो एवं अन्य इत्यादि है जानबूझकर शिवओमकार पुत्र सेवाराम नट ने सात अन्य वारिसों के नाम नहीं बताये और उनके हक को मारने के लिये झूठा हलफनामा देकर अपना ही नाम तहसीलदार को बताकर इंतकाल अपने नाम खुलवा लिया। इस तरह इंतकाल इसी आधार पर अपास्त किये जाने योग्य है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रेमलता एवं रामवीर द्वारा मिथ्या एवं आधारहीन तथ्यों के आधार पर पेश की गई अपील को खारिज किये जाने के आदेश सादिर फरमाने की कृपा करें।

26/12/24
अ[illegible]रिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

न्या0 अति0 जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर राज0
प्र.सं. 11/37/23 दि0 26.07.23
श्रीमती प्रेमलता बनाम भूप्रबंध अधिकारी अलवर वगै0
निर्णय दिनांक 26.12.2024

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं वकुलाय की बहस पर चिन्तन–मनन किया। न्यायालय तहसीलदार के विरूद्ध स्थगन आदेश दिनांक 01.02.2022 को जारी किया गया, जो आराजी खसरा नमबर कमशः 1, 2, 3, 36, 4, 5, 6, 7 रकबा कमशः 1.29, 0.20, 0.13, 0.06, 0.13, 0.81, 0.32, 0.09 हैक्टर वाके ग्रामसाहोडी हाल सुकल तहसील व जिला अलवर अलवर के रिकार्ड एवं मौके की स्थिति यथावत बनाये रखने हेतु जारी किया गया। उक्त खसरा नम्बर अपीलांट द्वारा खरीद नहीं किया गया है। रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत जवाब से यह स्पष्ट है कि अपीलांट को मातहत न्यायालय तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर अलवर की प्रकरण की जानकारी पूर्व में थी तथा सोना की मृत्यु की जानकारी भी पूर्व में ही थी। अपीलांट को जानकारी थी कि अपीलांट ने बावजूद स्थगन आदेश अपने पक्ष में बयनामा तहरीर व तस्दीक करा लिया है जो शुरू से ही शुन्य है जिस कारण कोई अधिकार उसे प्राप्त नहीं है ना ही वह पक्षकार मुकदमा बन सकता है ना ही उसे पक्षकार मुकदमा बनाया जा सकता है। इस तरह समस्त तथ्यों की जानकारी होने के बाद भी अपीलांट ने स्वयं ने अपने अधिकारों को स्वयं खत्म कर लिया। अब वह अपील करने का कोई अधिकारी किसी प्रकार का नहीं है। अपीलांट का नाम जमाबंदी में अंकित नहीं है ना ही उसके नाम इंतकाल खोला गया है तथा बिना इंतकाल खुले अपीलांट को अपील करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त खसरा विवादित खसरा नंबर अपीलांट द्वारा खरीद नहीं करने के कारण अपील अपी0 खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। न्यायालय सहायक भूप्रबंध अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 20.05.1993 बाबत इन्तकाल संख्या 57 वाके ग्राम साहोडी तह0 व जिला अलवर को यथावत रखा जाता है तथा नामान्तकरण संख्या 220 निर्णय दिनांक 27.11.2024 एवं इसके आधार पर कोई अमल हस्तांतरण हुए हैं तो सभी को खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)

संशोधित आदेश दिनांक 22/01/2025

नोट:- निर्णय दिनांक 26.12.24 के अन्तिम पैरा की तीसरी लाईन में अंकित "यथावत रखा जाता है" के स्थान पर "खारिज किया जाता है" पढा जावे। शेष यथावत रहेगा।

22/1/25
अ..रिक्त जिला कलक्टर (प्रथ
अलवर (राज0)